

सविलि सेवकों के लयि आचरण नयिमावली

प्रलिमिस के लयि:

अखलि भारतीय सेवा (आचरण) नयिमावली 1968, [संवैधानिक मूल्य](#), [अरद्ध-न्यायिक शक्ति](#), [अनुच्छेद 311](#), प्रत्यायोजित विधान।

मेन्स के लयि:

लोकतंत्र में सविलि सेवाओं की भूमिका, सविलि सेवकों द्वारा सोशल मीडिया की सक्रियता के निहितारथ।

स्रोत: द हंडि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल में अखलि भारतीय सेवा (आचरण) नयिमावली, 1968 (AIS नयिमों) के उल्लंघन का हवाला देते हुए दो आईएस अधिकारियों को नलिंबिति किया गया है।

- एक आईएस अधिकारी ने अपने वरषित सहकर्मी के खलिफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टपिपणी की थी जबकि एक अन्य को कथति तौर पर धरम आधारित व्हाट्सएप गुप्त बनाने के लयि नलिंबिति किया गया।

अखलि भारतीय सेवा (आचरण) नयिमावली, 1968 में क्या प्रावधान हैं?

- परिचय:** यह नयिम आईएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा अधिकारियों के आचरण में [निषिक्षता, सत्यनिषिठा](#) और [संवैधानिक मूल्यों](#) के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नैतिक एवं पेशेवर मानकों के आधार हैं।
- उल्लिखित मानक:** उल्लिखित प्रमुख मानकों का सारांश इस प्रकार है।
 - नैतिक मानक:** अधिकारियों को नैतिकिता, सत्यनिषिठा और ईमानदारी का पालन करना चाहिये। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों एवं नियन्त्रणों में राजनीतिक रूप से तटस्थ, जवाबदेह एवं पारदर्शी बने रहें।
 - संवैधानिक मूल्यों की सर्वोच्चता:** अधिकारियों को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिये, जिससे देश के विधिक ढाँचे के प्रति प्रतिबिद्ध लोक सेवक के रूप में उनके करतत्वय बने रहें।
 - लोक मीडिया में भागीदारी:** अधिकारी वास्तविक पेशेवर क्षमता के संदरभ में लोक मीडिया में भागीदारी कर सकते हैं। हालाँकि उन्हें सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लयि ऐसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने से प्रतिबिधिति किया गया है।
 - विधिक और मीडिया संबंधी दृष्टिकोण:** अधिकारियों को सरकार की प्रत्यक्ष स्वीकृति के बनियां न्यायालय या मीडिया के माध्यम से आलोचना के अधीन आधिकारिक कार्यों का निवारण या बचाव करने की अनुमति नहीं है।
 - सामान्य आचरण:** अधिकारियों को कसी भी ऐसे व्यवहार से बचना चाहिये जो उनकी सेवा के लयि "अनुचित" माना जाता हो। इससे सुनिश्चित होता है कि अधिकारी शाष्ट्रियां और व्यावसायिकता का उच्च मानक बनाए रखें।

AIS नयिम, 1968 से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- सपष्ट सोशल मीडिया दिशानिर्देशों का अभाव:** मौजूदा नयिम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अधिकारियों के संचार और आचरण को सपष्ट रूप से संबोधित नहीं करते हैं।
 - डिजिटल जुङाव के बढ़ने से असपष्टता पैदा हो गई है, जिससे सीमाएँ निर्धारित करना और उचित व्यवहार लागू करना कठनी हो गया है।
- अनुचित आचरण संबंधी खंड:** "सेवा के सदस्य के लयि अनुचित आचरण" शब्द एक व्यापक, अपरभिषित खण्ड है, जो असंगत प्रवरत्तन की ओर ले जाता है तथा दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न करता है।
- प्रवरत्तन में शक्ति असंतुलन:** इन नयिमों का प्रवरत्तन प्रायः वरषित अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के हाथों में होता है। जूनियर अधिकारी वरषितों द्वारा नयिमों के दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जिसके लयि पक्षपात और मनमानी कार्यवाहियों के खलिफ सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

लोकतंत्र में सविलि सेवाओं की भूमिका क्या है?

- **नीतिनिर्माण:** सविलि सेवक तकनीकी वशिष्टज्ञता और व्यावहारिक अंतरदृष्टिप्रदान करते हैं जो सार्वजनिक नीतिके निर्माण और निधारण में मदद करते हैं।
- **नीतियों का क्रयिन्वयन:** सविलि सेवक विधायिका द्वारा पारित नीतियों के क्रयिन्वयन के लिये ज़मिमेदार होते हैं। इसमें कानूनों और नीतियों के व्यावहारिक अनुप्रयोग की देखरेख करना शामिल है।
- **प्रत्यायोजित विधान:** सविलि सेवकों को प्रायः प्रत्यायोजित विधान के तहत वसितृत नियम और वनियम बनाने का काम सौंपा जाता है। विधानमंडल रूपरेखा निधारित करता है, जबकि सविलि सेवक वैनिक सरकारी कारयों के लिये आवश्यक वशिष्टताओं को परभिष्ठि करते हैं।
- **प्रशासनिक न्यायनरिण्यन:** सविलि सेवकों के पास अर्द्ध-न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं और वे नागरिकों के अधिकारों और दायतिवों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिये ज़मिमेदार होते हैं।
 - यह सार्वजनिक हति में, वशिष्ट रूप से कमज़ोर समूहों या तकनीकी मुद्दों के लिये त्वरित, निषिक्ष निरिण्य सुनिश्चिति करता है, तथा समय पर विवाद समाधान की सुविधा प्रदान करता है।
- **स्थिरता और नरितरता:** सविलि सेवक चुनाव-प्रेरित राजनीतिक परिवर्तनों के दौरान शासन में स्थिरता और नरितरता बनाए रखते हैं, तथा नेतृत्व में बदलाव के बावजूद सुचारू नीतिओं और प्रशासनिक प्रक्रया सुनिश्चिति करते हैं।
- **राष्ट्रीय आदरशों के संरक्षक:** सविलि सेवक राष्ट्र के आदरशों, मूलयों और विश्वासों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वे राष्ट्र के सामाजिक, आरथिक और राजनीतिक ताने-बाने की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य

सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य उन मौलिक सिद्धांतों और नैतिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सिविल सेवकों के आचरण तथा उत्तरदायित्वों का मार्गदर्शन करते हैं।



■ सत्यनिष्ठा

- सत्यनिष्ठा से तात्पर्य नैतिक सिद्धांतों की सुदृढ़ता, चरित्र की भ्रष्टता, इमानदारी और निष्ठा से है।

प्रकार:

- नैतिक सत्यनिष्ठा
- बौद्धिक सत्यनिष्ठा
- पेशेवर सत्यनिष्ठा

- उदाहरण:** सत्येंद्र दुबे (IES अधिकारी) - भारत के पहले मुख्यमंत्री में से एक - ने स्वर्णिम चतुर्पूज राजमार्ग निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर किया।

■ निष्पक्षता

- निष्पक्षता से तात्पर्य निष्पक्ष होने या किसी भी चीज़ या किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण न होने और केवल मामले की योग्यता के अनुसार कार्य करने के गुण से है।
- उदाहरण:** एक अधिकारी को अपने हितों के प्रति पक्षपात दिखाने के बजाय समुदायों की ज़रूरतों के आधार पर धन वितरित करना चाहिये।

■ गैर-पक्षपात

- किसी भी राजनीतिक दल के प्रति गैर-पक्षपात, यानी राजनीतिक तटस्थता प्रदर्शित करना।
- उदाहरण:** वर्ष 1990-96 तक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में टी.एन. शेषन ने चुनाव प्रक्रिया में गैर-पक्षपात सुनिश्चित करने के लिये बदलाव किये।

नोलन समिति का सार्वजनिक जीवन का सिद्धांत

- सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वालों के नैतिक मानकों की रूपरेखा तैयार करना
- वर्ष 1995 में यू.के. में सार्वजनिक जीवन के मानकों पर समिति की रिपोर्ट सर्वप्रथम लॉर्ड नोलन द्वारा निर्धारित की गई
- भारत सहित विभिन्न देशों में लोक सेवकों और अधिकारियों पर लागू

सिद्धांत:

- निस्वार्थता
- इमानदारी
- निष्पक्षता
- जवाबदेहिता
- खुलापन
- इमानदारी
- नेतृत्व

■ वस्तुनिष्ठता

- समानता प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत राय के बजाय तथ्यों का पालन करना।
- उदाहरण:** सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को डिज़ाइन करते समय, धनी/राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूहों का पक्ष लेने के बजाय, वंचित आबादी की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

■ सहिष्णुता

- अपने से मित्र विचारों, प्रथाओं, जाति, धर्म आदि का सम्मान, स्वीकृति और सराहना।
- उदाहरण:** अशोक का धम (धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक उत्पीड़न को हतोत्साहित करना)

■ सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण

- प्रतिबद्ध, उत्तरदायी होना और जनहित को सर्वोपरि रखना।
- उदाहरण:** अशोक खेमका 1991 बैच के हरियाणा कैडर के आईएस अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिये जाने जाते हैं।



॥

अनुच्छेद 311

- अनुच्छेद 311 (1)** के अनुसार अखलि भारतीय सेवा या राज्य सरकार के कसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा, जिसने उसे नयिकत किया था।
- अनुच्छेद 311 (2)** के अनुसार, कसी भी साविलि सेवक को ऐसी जाँच के बाद ही पदचयुत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा अथवा रैंक में अवनत किया जाएगा जिसमें उसे अपने वरिद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त्युक्त अवसर प्रदान किया गया है।
- जाँच की आवश्यकता के अपवाद (अनुच्छेद 311 (2)):** नमिनलखिति परस्थितियों में जाँच की आवश्यकता नहीं है:

- आपराधिक दोषसंदिधि: हाँ एक व्यक्ति की उसके आचरण के आधार पर बर्खास्तगी या हटाना या रैंक में कमी की जाती है जिसके कारणसे

आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है (धारा 2(a))।

- व्यावहारिक असंभवता: जहाँ कसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसके रैक को कम करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी संतुष्ट है किसी कारण से उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दरज किया जाना है, ऐसी जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है (धारा 2(b))।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: जहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हति में ऐसी जाँच करना उचित नहीं है (खण्ड 2(c))।

आगे की राह

- सोशल मीडिया दृश्य-निर्देश: नियमों में अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभ्रामित किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकारी जिमिदार तरीके से सरकारी पहलों के बारे में सार्वजनिक संचार में शामिल हो सकें।
- 'अनुपयुक्त आचरण' संबंधी धारा को स्पष्ट करना: अस्पष्ट शब्द "सेवा के सदस्य के लिये अनुपयुक्त" को अतीत में ऐसे उदाहरणों की सूची प्रदान करके स्पष्ट किया जा सकता है, जहाँ इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी।
- जिमिदार गुमनामी: जनता की सेवा करते समय तटस्थ और निष्पक्ष बने रहने पर जोर दिया जा सकता है, वशिष्ट रूप से सोशल मीडिया के युग में जहाँ विविध से अधिक दृश्यता को प्राथमिकता दी जाती है।
- सोशल मीडिया का विविधपूर्ण उपयोग: अधिकारियों, वशिष्टकर युवा अधिकारियों को यह याद दिलाया जाना चाहिये कि यद्यपि सोशल मीडिया सरकारी पहलों को बढ़ावा देने का एक साधन है, लेकिन इसे सविलि सेवा की गरमी और निष्पक्षता को बनाए रखना चाहिये।
- उन्हें व्यक्तिगत राय या पक्षपातपूर्ण बयान देने से बचना चाहिये जिससे उनकी तटस्थता पर असर पड़ सकता है।

प्रश्नों का उत्तर:

प्रश्न: अखलि भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि सविलि सेवक अपने व्यावसायिक आचरण में नैतिक मानकों को बनाए रखते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न: "आरथकि प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक निरिणायक चालक है"। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सविलि सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिये। (2020)

प्रश्न: प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएँ तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अभिलेख की गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कठोर सुधारों की आवश्यकता है? टपिपणी कीजिये। (2017)

प्रश्न: "प्रारंभिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आरथकि विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।" टपिपणी कीजिये। (2016)